


प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान

बिहार, राँची



वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 1985—86

-5412

370·6

BIH·V

दूरभाष : 22369—21324

प्रस्तावना

1985—86 की अवधि के लिए प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, विहार, राँची के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन का विमोचन करते हुए मुझे आपार हृष्ट हो रहा है।

इस प्रतिवेदन द्वारा हमने प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, विहार, राँची के विभिन्न कार्यकलापों पर आजोच्य वर्ष की अवधि के लिए प्रकाश डालनेका प्रयास किया है, ताकि पाठकों को संस्थान के बारे में अधिक जानकारी मिल सके।

(प्रस० आर० अडिगे)

आयुक्त एवं निदेशक

प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान

विहार, राँची

राँची

19-4-1986

NIEPA DC



D03118

— 54/2
370.6
B1H-V

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sanskrit Marg, New Delhi-110016
DOC. No.
Date 30/6/86

प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, बिहार, रांची ।

अध्याय—१

वार्षिक प्रशासनिक समीक्षा वर्ष 1985—86

प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, बिहार, रांची का यह प्रशासनिक प्रतिवेदन अप्रिल 1985 से मार्च 1986 तक की अवधि के लिए है।

१. संस्थान ज्ञान संक्षिप्त इतिहास :

स्वतंत्रता के पूर्व बिहार राज्य में असैनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए किसी प्रकार की सांस्थिक प्रशिक्षण का कोई प्रबन्ध नहीं था। उस समय नव नियुक्त पदाधिकारियों की संख्या कभी ही रहा करती थी, नियुक्ति के पश्चात उन्हें जिलों में पदस्थापित कर दिया जाता था, जहाँ वे विभिन्न विभागों में कार्य कर प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करते थे। जिलों में उन्हें अनुभवी प्रभारी पदाधिकारियों से कुछ प्रशिक्षण मिल जाता था, परन्तु प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था नहीं थी।

स्वतंत्रता के पश्चात सरकारी कार्य का नेत्र बहुल एवं बहुमुखी हो गया। पंचवर्षीय योजनाओं के कारण सरकारी गतिविधियों में एकाएक बहुत विस्तार हो गया, तथा असैनिक सेवा के पदाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हो गयी। अब सेवा में आने वाले पदाधिकारियों की संख्या में भी पहले से बहुत वृद्धि हो गयी।

चूँकि असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति अब अधिक संख्या में होने लगी तथा इनके कार्य के लिए काफी विस्तार हुआ, जो चुनौतियों से भरा हुआ था, तथा असैनिक सेवा के पदाधिकारियों को उन्हें सफलता पूर्वक निभाना था, इसलिए ऐसा अनुभव किया गया कि इनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर अक्टूबर 1952 में राँची में केन्द्रीय प्रशिक्षण स्कूल छोटानगपुर प्रमण्डल के आयुक्त के समुचित देख-रेख में काम करता था तथा इस स्कूल में बिहार असैनिक सेवा (कार्यपालक शाखा) के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। समय के साथ-साथ इस स्कूल का महत्व बढ़ता गया, तथा इस संस्थान के नाम में भी परिवर्तन आ गया। केन्द्रीय प्रशिक्षण स्कूल से बदलाव इसका नाम प्रशासकीय प्रशिक्षण स्कूल पड़ा, तथा समीचीन वृहत कार्यबद्धता पर इस संस्थान का प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नाम करण सन् 1974 में हुआ। इस संस्थान के प्रधान भारतीय प्रशासन सेवा के सुपरिटेंडेंट के पदाधिकारी हुआ करते हैं, जो निदेशक, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान के नाम से जाने जाते हैं। प्रधानका वरीयता के अनुरूप सम्प्रति आयुक्त सह निदेशक का पद सूचित है।

आरभ में इस स्कूल में प्रशिक्षण प्रयोगात्मक रहा। प्रशिक्षणार्थियों की संख्या अनिश्चित हुआ करती थी, प्रशिक्षण का समुचित पाठ्यक्रम तय नहीं हो पाया था। छात्रावास की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ तक कि संस्थान को अपना भवन भी नहीं था, तथा राजभवन के हाते में ही “ऑफ़ हाउस” में इस संस्था को चलाया जाता था।

1958 में संस्थान के संचालन तथा उभरी समस्याओं के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी तथा सुधार की ओर आवश्यक कदम उठाए गये। नया पाठ्य क्रम तैयार किया गया, संस्थान का अवधारणा कार्यालय भवन है प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास है, मुराने छात्रावास में 66 प्रशिक्षणार्थियों के लिए रहने तथा खाने की व्यवस्था है, अभी हाल ही में एक नया छात्रावास बन कर तैयार हुआ है, जिसमें आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, इसे सुसज्जित किया जा रहा है। एक और दूसरा छात्रावास बनाया जा रहा है। इसके पूर्ण हो जाने पर 106 प्रशिक्षणार्थियों के लिए व्यवस्था हो जायेगी।

२. संस्थान का विवरण :

यह संस्थान 1975 से अपने भवन में अवस्थित है जो राँची राजभवन के ठीक उत्तर में है। संस्थान का पूर्ण ज्ञेत्रफल 10 एकड़ है। संस्थान के मुख्य भवन में 150 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता का प्रेक्षागृह (Auditorium) है। संस्थान का पुस्तकालय इस ज्ञेत्र का एक उत्तम पुस्तकालय माना जाता है, जिसमें करीब 21,000 पुस्तकें हैं। पुस्तकालय के अतिरिक्त वाचनालय, व्याख्यान कक्ष भी हैं।

संस्थान में दो 16 मिलीमीटर के प्रोजेक्टर एवं अन्य श्रवण-कक्ष प्रशिक्षण घन्नम हैं, जिससे समय-समय-पर प्रशिक्षण में उपयोग किया जाता है।

‘संस्थान’ के छात्रावास को सुरक्षित और उपादेय द्वेषु छात्रावास के हाँति को एक ऊँची दीवाल से बैरा जा रहा है। संस्थान में बैर्डमिन्टन, वॉलीबाल, किकेट, टेनिस, टेबुल टेनिस तथा अन्य अन्तर गृह खेलों की व्यवस्था है।

संस्थान के बहुमुखी विकास के लिए एक वृहत् योजना तैयार की गयी है जिसके लिए अष्टम विज्ञीय आयोग से 184 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त है। द्वितीय विज्ञीय योजना (1985—90) में भी संरचना के विकास तथा आधिकार्यविकास के लिये एक वृहत् प्रस्ताव संस्कार द्वारा 50 लाख रुपये के लागत खर्च पर स्वीकृत हो चुकी है।

३. शासी निकाय :

यह संस्थान विहार सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के मशासमिकानियन्त्रण में है। 16 सदस्यों की शासी निकाय के अध्यक्ष मुख्य सचिव, विहार है। उनके अतिरिक्त निम्नलिखित पदाधिकारी निकाय के सदस्य हैं।

1. विकास आयुक्त
2. सदस्य राजस्व पर्षद
3. उपाध्यक्ष योजना पर्षद
4. ज्ञेत्रीय विकास आयुक्त
5. अध्यक्षसंसह प्रबन्धक निदेशक, विहार राज्य वौद्योगिक विकास निगम
6. वित्त आयुक्त

7. आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची
8. कुलपति, राँची विश्वविद्यालय, राँची
9. सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
10. 20 सूत्री विकास आयुक्त
11. सचिव; प्रामीण विकास विभाग
12. भारत सेवकार के कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण अनुभाग) द्वारा मनीनीत पदाधिकारी
13. अध्यक्ष, लीक उर्ध्म व्यूही, बिहार
14. निदेशक, बिहार प्रामीण विकास संस्थान, राँची
15. निदेशक, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, राँची

निदेशक, प्रशासकीय संस्थान; निकाय के सचिव हैं।

आलोच्य वर्ष में निकीय की दो बैठक 28-9-85 तथा 29-3-86 की हुईं।

4. संकाय तथा कार्यालय :

इस संस्थान के प्रधान, निदेशक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीयतम पदाधिकारी हुआ करते हैं। इसके अतिरिक्त 6 सदस्यों की संकाय है जिसमें तीन उप निदेशक विशेष; औपर जिला देशधिकारी के स्तर के पदाधिकारी है, तथा बाकी तीन उप निदेशक के पद पर असैनिक सेवा के (कनीय प्रवर कोटि), विधि सेवा, तथा महालेखाकार, के यहाँ से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी कार्यरत रहते हैं। इसके अतिरिक्त निदेशक के सचिव, तथा प्रशासी पदाधिकारी के दो राजपत्रित पद स्वीकृत हैं। निदेशक के सचिव के पद पर बिहार असैनिक सेवा (कनीय प्रवर कोटि) के पदाधिकारी तथा प्रशासी पदाधिकारी के पद पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुसचिवीय संवर्ग के पदाधिकारी जो निबन्धक, स्तर के होते हैं, पदस्थापित हैं।

इसके अतिरिक्त कार्यालय में तृतीय श्रेणी के 8 पद तथा चतुर्थ श्रेणी के 13 पद हैं।

छात्रावास के लिए मैसं मैनेजर का एक पद (तृतीय श्रेणी में) तथा चतुर्थ श्रेणी के 25 पद हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान में चालक के दो पद स्वीकृत हैं।

पुस्तकालय के लिए तृतीय श्रेणी में पुस्तपाल, सहायक पुस्तपालि तथा चलचित्र चालक के पद स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय हेल्पर का एक चतुर्थश्रेणीय पद भी स्वीकृत है।

आलोच्य वर्ष में आयुक्त एवं निदेशक के पद पर श्री एस०आर० अधिगे, भा०प्र०स० पदस्थापित रहे हैं।

सर्व श्री आ०आर० अधिगे; उप निदेशक वर्तीय, ई०क० शीर्ष, डॉ० निदेशक, लौखा तथा दो० श्रीक० सत्य निदेशक के सचिव, शालान्त्रिय वर्ष के सम्पूर्ण अवैष्य में कार्यरत रहे हैं। सर्व श्री

आर० य० पी० सिन्हा, तथा बी०के०डेडगवें, उप निदेशक वरीय पद पर क्रमशः दिनांक 13-०-८५ तथा 24-६-८० को अपना योगदान दिया तथा तब से कार्यरत है। उप निदेशक विधि तथा हिन्दी के पद पर कार्यरत सर्वे श्री भूखल प्रसाद तथा आर० के० सिंह स्थानान्तरण के फलस्वरूप संस्थान से चले गये। उप निदेशक हिन्दी के पद पर श्री प्रभु नारायण विद्यार्थी ने अपना योगदान 21-३-८६ को दिया है—तथा उप निदेशक (विधि) का पद अभी भी रिक्त है। परन्तु श्री दामोदर प्रसाद, मुख्य न्यायिक द० अधिकारी दरभंगा का उपनिदेशक विधि के पद पर पदस्थापन की अधिसूचना हो चुकी है। संस्थान में कार्यरत प्रशासी पदाधिकारी श्री आर०के०पी० सिन्हा, प्रोन्त्रित पाने के फलस्वरूप अपने पैतृक विभाग कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में लैट गये। उनके स्थान पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संवर्ग से प्रोन्त्रित पाकर श्री शुकदेव माली, अभी प्रशासी पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है। श्री माली अपना योगदान संस्थान में दिनांक 19-४-८५ को दिए हैं।

आलोच्य वर्ष में तृतीय वर्ग के सभी पद भरे रहे, इसमें कोई रिक्त नहीं रही। गत वर्ष में चतुर्थ वर्ग के जो 4 पद रिक्त थे, उनके विरुद्ध तीन पद भरे गये, सिर्फ एक चतुर्थ वर्गीय पद अभी जो रसोइया का है, रिक्त है; जिसे भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई चल रही है।

आलोच्य वर्ष में कोई भी नया पद सूजित नहीं किया गया है। कार्यरत अधिकारियों/कम-चारियों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट 1 तथा 2 पर है।

5. संस्थान पुस्तकालय :

आलोच्य वर्ष १९८५-८६ में संस्थान पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर रु० 31091 का व्यय 516 पुस्तकों की अभिवृद्धि हुई। इसी प्रकार ३१.३.८५ तक पुस्तकालय में कुल 20117 पुस्तकें उपलब्ध थीं। गत वर्ष इस संस्थान, पुस्तकालय में व्यंथ संख्या 19601 थी, और अब 20117 हो गई है जिसमें 26 सुफत पुस्तकें भी सम्मिलित हैं। संस्थान की बढ़ती हुई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वाचनालय तथा पुस्तकालय को सुदृढ़ किया जा रहा है। संस्थान में प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों के लिए किसी न किसी रूप में प्रशिक्षण आयोजित करने का प्रत्यावर्त है। अतः संस्थान पुस्तकालय में राज्य के प्रत्येक विभाग से प्रलेखकों का संकलन किया जाना भी नितान्त आवश्यक है।

संस्थान पुस्तकालय में आलोच्य वर्ष में 98 पत्र/पत्रिकाएं ली गयीं। इसके अतिरिक्त कुछ विभागों तथा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा भी अपने प्रकाशन इस संस्थान को निःशुल्क भेजे जाते हैं।

संस्थान में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पुस्तकालय का समुचित उपयोग किया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को पांच पुस्तकें निर्गत कराने की छूट है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर सिनोप्रिस तथा पृष्ठभूमि सामग्री भी वितरित की जाती है।

6. वर्ष का व्यय बजट :

इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों हेतु 10,22,000 रु० स्वीकृत, किया गया जिसमें वास्तविक व्यय 11,24,834 रु० हुआ। (व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण समय-समय पर जीवन यापन भत्ता में की गई वृद्धि है) उपरोक्त धनराशि में से कुछ राशि दृष्टिकोण परिवर्त्तन एवं कार्यप्रणाली

विषयक प्रशिक्षण हेतु विभिन्न जनपदों में व्यय हुआ। बजट का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 3 पर दर्शाया गया है, तथा विशेष प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता की राशि परिशिष्ट 4 में है।

७. आम अध्ययन :

इस वर्ष संस्थान द्वारा जो विद्यार्थी प्रशासनिक सेवा के आधारभूत सत्र आयोजित किए गए उनमें प्रदेश के रांची जिला में ग्राम अध्ययन के लिए प्रशिक्षणार्थियों को भेजा गया। ग्रामों में प्रशिक्षणार्थियों के लिए पंचायत घर, पाठशालाओं में रहने की व्यवस्था होती है और उन्हें ग्राम-वासियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करना और उनकी समस्याओं का अध्ययन करना होता है। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट पर संस्थान में गहन विचारविमर्श हुआ।

८. भोजन व्यवस्था :

संस्थान का अपना मेस है। इसमें कार्य करने वाले सभी कर्मचारी पूर्णालिङ्ग सरकारी कर्मचारी हैं। मेस का संचालन प्रशिक्षणार्थियों की अपनी मेस कमेटी द्वारा की जाती है। मेस की देख-रेख संस्थान के उप-निदेशक (बरीय) द्वारा की जाती है।

९. चिकित्सा व्यवस्था :

मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रांची सप्ताह में एक बार संस्थान में आकर प्रशिक्षणार्थियों की चैकिटिस के जांब करते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें संस्थान द्वारा 50/ प्रति माह मानदेय दिया जाता है।

१०. विशिष्ट अतिथि व्याख्याता :

गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी संस्थान द्वारा आयोजित नियमित विशेष सत्रों में विभिन्न विषयों में उपलब्ध प्रख्यात विद्वान विशिष्ट अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित किया गया। इन व्याख्याताओं के प्रशासकीय अनुभव तथा शैक्षणिक प्रवीणता से प्रशिक्षणार्थियों का समुचित ज्ञानवर्धन हुआ। संस्थान इन विशिष्ट व्यक्तियों का आभारी है।

११. प्रशासन वथा प्रबन्ध :

आलोच्य वर्ष में संस्थान के वार्षिक पत्रिका प्रशासन एवं प्रबन्ध का एक संकलन निकला। उसमें कई सारगम्भित एवं महत्वपूर्ण लेख थे।

१२. संस्थान द्वारा संचालित विभागीय परीक्षाओं का विवरण वर्ष 1985-86.

(क) राज्य के 14 सेवाओं के राजपत्रित घडाधिकारियों का विभागीय परीक्षा जो केन्द्रीय परीक्षा समिति राजस्व पर्षद, विद्यार्थी द्वारा जून तथा दिसम्बर में ली जाती है संस्थान के निदेशक के अधीक्षण में परीक्षा का सम्पादन किया गया।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा रांची केन्द्र के लिए आयोजित असैनिक सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक की देख-रेख में जून 1985 में सम्पादित की गयी।

अध्याय—२

वर्ष १९८५—८६ की अवधि में संचालित कार्यक्रमों की सूची द्योरा सूची

क्रमांक	सत्र का नाम	अवधि	पदाधिकारियों की संख्या	समन्वयक
1	राँची के सभीनों का कानूनेस	1 दिन (2-4-85)	18	श्री आर०आर० प्रसाद
2	भारतीय वन सेवा एवं बिहार वन सेवा के पुरो- द्यमाण पदाधिकारियों को स्टेट एप्रिशिएसन सत्र	2 सप्ताह (6-18 मई, 1985)	14	श्री गूलज प्रसाद
3	वित्तीय प्रबन्धन	2 सप्ताह (8-20 जुलाई, 85)	24	श्री आर०आर० प्रसाद
4	पाइम-पर्वर	3 सप्ताह (15-4-85 से 3-5-85)	19	श्री आर०आर० प्रसाद
5	बिहार प्रशासनिक सेवा 31वीं बैच (आधारभूत)	16 सप्ताह (26-12-85 से 11-4-86)	56	श्री टी० श्रीवास्तव
6	जनगणना में यहाँच्छित मन्मुना संवेद्धण पर क्षेत्रीय कार्यशाला	2 दिन (30-31, जुलाई, 85)	25	श्री टी० श्रीवास्तव
7	प्रोजेक्ट प्रबन्धन	2 सप्ताह (6-18 मई, 85)	18	श्री आर०आर० प्रसाद
8	भ०प्र०से० के परीक्ष्यमाण पदाधिकारियों का स्टेट एप्रिशिएसन कोर्स	6 सप्ताह 3-6-85 से 13-7-85	11	श्री आर०र्य०पी० सिन्हा
9	वार्तावरण पर गोष्ठि	1 दिन (20-8-85)	12	श्री आर०आर० प्रसाद
10	आद्योगिक उद्यमिता पर कार्यशाला	1 सप्ताह (23-29 सितम्बर, 85)	23	श्री आर०य०पी० सिन्हा

क्रमांक	सत्र का नाम	अवधि	पद्धाधिकारियों की संख्या	समन्वयक
11	भारतीय आस्थी सेवा/ बिहार आस्थी सेवा के परीक्षयमाण पद्धाधिकारियों का स्टेट एप्रिलिएशन सत्र	2 सप्ताह (7-19 अक्टूबर, 85)	18	श्री बी०के० डेडगवें
12	विकास प्रशासन	2 सप्ताह (3-17 अक्टूबर, 85)	20	श्री टी० श्रीवॉस्तव
13	भा.प्र.से. के पद्धाधिकारियों का इनसर्विस प्रशिक्षण	1 सप्ताह (5-9 नवम्बर, 85)	29	श्री आर०य०पी० सिन्हा
14	प्रामीण जलाधार्पति पर गोष्ठी	3 दिन (20-22 नवम्बर, 85)	29	श्री आर०य०पी० सिन्हा
15	प्रामीण ज्ञेत्रों में महिला एवं बच्चे के विकास पर ज्ञेत्रीय कर्मशाला	2 दिन (29-30 नवम्बर, 85)	8	श्री आर०के० सिंह
16	भा.प्र.से. के पद्धाधिकारियों का इनसर्विस प्रशिक्षण	एक सप्ताह (2-7 दिसम्बर, 85)	22	श्री आर०य०पी० सिन्हा
17	फाईनेन्स फोर नन-फाईनेन्स	एक सप्ताह (16-21 दिसम्बर, 85)	22	श्री ए०के० घोष
18	जन वितरण ब्रणाली सत्र	2 सप्ताह (23-12-85 से 1-1-86)	29	श्री बी०के० डेडगवें
19	भा.प्र.से. के पद्धाधिकारियों का इनसर्विस प्रशिक्षण	1 सप्ताह (6-10 जनवरी, 86)	24	श्री आर०य०पी० सिन्हा
20	भा.प्र.से. के पद्धाधिकारियों का इनसर्विस प्रशिक्षण	4 सप्ताह (13-1-86 से 7-2-86)	19	श्री बी०के० डेडगवें
21	लैम्पस पर कार्यशाला	3 दिन (12-14 फरवरी, 86)	43	श्री आर०आर० प्रसाद
22	सरकार में प्रबन्धन	2 सप्ताह (26-2-86 से 11-3-86)	22	श्री आर०आर० प्रसाद
23	सेमिनार औन फौरेस्ट्रो	1 दिन (23-3-86)	15	श्री आर०आर० प्रसाद
24	विधि आयोग के अन्तर्गत कानूनी सहायता पर गोष्ठी	2 दिन (22-23 मार्च, 86)	15	श्री आर०य०पी० सिन्हा

परिशिष्ट—1

वर्ष 1985 -86 में कार्यरत अधिकारियों का विवरण

क्रमांक	अधिकारियों का नाम	पद	अवधि
1	२	३	४
1	श्री एस० आर० अर्डगे	निदेशक	सम्पूर्ण वर्ष
2	श्री आर० आर० प्रसाद	उप निदेशक वरीय	सम्पूर्ण वर्ष
3	श्री आर० यू० पी० सिन्हा	उप निदेशक वरीय	75-5-85 से
4	श्री भी० के० डेहगवे	उप निदेशक वरीय	24-6-85 से
5	श्री ए० के० घोष	उप निदेशक लेखा	सम्पूर्ण वर्ष
6	श्री बी० प्रसाद	उप निदेशक विधि	2-8-84 से 28-8-86 तक
7	श्री आर० के० सिंह	उप निदेशक (हिन्दी)	12-7-85 से 6-3-86 तक
8	श्री टी० श्रीवास्तव	निदेशक के सचिव	सम्पूर्ण वर्ष
9	श्री एस० भाली	प्रशासी पदाधिकारी	19-8-85 से
10	श्री प्रभु नारायण विद्यार्थी	उप निदेशक (हिन्दी)	21-3-86 से

परिशिष्ट—2

वर्ष 1985-86 में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण

क्रम संख्या	वर्ग	स्वीकृत पद	नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	समाज के अपंग व्यक्ति	आन्ध्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रथम श्रेणी	8	6	—	—	—	—	—	—
2	द्वितीय श्रेणी	1	1	—	—	1	—	—	—
3	तृतीय श्रेणी	14	14	1	5	2	—	—	6
4	चतुर्थ वर्ग	39	38	3	17	18	—	—	—

परिशिष्ट—3

वित्तीय वर्ष 1985—86 का व्यय विवरण

	स्वीकृत आवंटन 1985—86	वास्तविक आवंटन 1985—86
1 पदाधिकारियों का वेतन	2,61,000	1,89,557
2 कर्मचारियों का वेतन	3,70,000	4,11,511
3 पदाधिकारियों का जीवनयापन भत्ता	60,000	96,632
4 कर्मचारियों का जीवनयापन भत्ता	1,00,000	2,01,090
5 यात्रा व्यय	42,000	41,715
6 कार्यालय व्यय	1,25,000	1,25,000
7 अध्यवसायिक एवं विशेष सेवा के लिये अदागियाँ	17,000	14,954
8 सामग्री एवं आपूर्ति	47,000	44,375
कुल योग	10,22,000.00	11,24,834.00

परिशिष्ट 4

विशेष प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार से वर्ष 1985-86 में प्राप्त वित्तीय सहायता

क्रमांक	सत्र का नाम	स्वीकृत धन राशि
1	2	3
1	कमान्ड एरिया प्रोग्राम का प्रबन्धन	18,000.00
2	जनजाति विकास परियोजना पर समेकित कर्मशाला	18,000.00
3	परियोजना प्रबन्धन	18,000.00
4	बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में जल आपूर्ति परियोजना तथा उसके कार्यान्वयन तथा देखभाल पर 3 दिन का सेमिनार	12,850.00
5	जन वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति पर प्रबन्धन	30,000.00
6	भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों का आठ सप्ताह का प्रशिक्षण	95,000.00
7	भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों का एक सप्ताह का प्रशिक्षण	17,000.00
8	भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों का एक सप्ताह का प्रशिक्षण	17,000.00
9	भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों का एक सप्ताह का प्रशिक्षण	17,000.00
10	फाइनेंस फार नन फाइनेंस	10,000.00
11	सरकार में प्रबन्धन	D03118 1 Systems Unit, National Institute of Educational Planning and Administration 17-B, Shatabdi Marg, New Delhi-110016 DOC. No..... ३०६१५६ Date..... ३०.६.८६